न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/1694/2002/भरतपुर

1– बहोरी पुत्र श्री नत्थी (फोत) के का0मु0:–
1/1. पूरन
1/2. शिशुपाल
1/3. लालसिंह
पुत्रान बहोरी जाति जादो ठाकुर निवासी अमरा तहसील डीग जिला भरतपुर।
2– बल्लो उर्फ कासी पुत्र नत्थी जाति जादो ठाकुर निवासी अमरा तहसील डीग जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– गोर्धना पुत्र नत्थी जाति जादो ठाकुर निवासी अमरा तहसील डीग जिला भरतपुर।
2– लच्छो नाम तर्क
3– हरभजन उर्फ खुबी पुत्र छूट्टन (फोत) के का.मु.:–
3/1. रामजी लाल
3/2. तुल्ली
3/3. यादराम
3/4. रूपचन्द
3/5. निहाल सिंह
3/6. रग्गो पुत्र हरभजन फोत के का.मु.
3/6/1. तनु
3/6/2. विकास
4– सुकली पुत्र खूबी नाम तर्क
5– हरप्यारी बैवा छुट्टन नाम तर्क
6– मनसीलाल पुत्र छुट्टनलाल
सभी जाति जाटव निवासी ग्राम नगला फौजदार तहसील डीग जिला भरतपुर।
7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीग।

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री धूकलराम कसवां, सदस्य

उपस्थित :
श्री जे.के.पारीक, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री एस0पी0सिंह, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

दिनांक

निर्णय

1— यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19—2—02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2— अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट वादी ने विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी डीग में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 53 व 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी 501, 503, 1189, 1614, 1618, 1620, 1623 कुल किता 6 कुल रकबा 2.46 हैक्टयर, खसरा नंबर 502, 1100, 1104, 508/1655 किता 4 कुल रकबा 0.67 हैक्टयर, खसरा नंबर 1096, 1109 एवं 508 के बाबत् प्रस्तुत किया। उपखंड अधिकारी डीग ने अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 10—11—2000 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 19—2—09 द्वारा खारिज कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई हैं।

3— विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि वाद को नोनजोइंडर ऑफ प्रोपर्टीज के आधार पर गलत खारिज किया है। इस आधार पर वादपत्र खारिज नहीं किया जा सकता। यदि मु0 सतना आवश्यक पक्षकार थी तो अदालत स्वयं उसे पक्षकार बना समती थी। सतना ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपीलांट को विक्रय कर दिया, जिसका इंद्राज जमाबंदी में हो रहा है। इसलिये मु0 सतना वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं थी। रेस्पोडेंट को ग्राम जुन्हैदी की भूमि दे दी एवं अपीलांट को ग्राम अमरा की भूमि दी गई किंतु रस्पोंडेंट के नाम का इंद्राज राजस्व रिकोर्ड में गलती से चला आ रहा है जबकि उक्त भूमि आपसी बंटवारा में अपीलांट के हक में आई है। अपीलीय न्यायालय का निर्णय आदेश 41 नियम 31 जाब्ता दीवानी के विपरीत है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सगे भाई है जिनका नाना जीतीराम जुनहेदी का निवासी थी उसके विवादित भूमि की वसियत पक्षकरों के हक में कर दी। अपीलांट ने मु0 सतना का 1/5 हिस्सा जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 22—7—85

को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है जिस पर रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। परीक्षण न्यायालय ने मनमाने तरीके से वाद खारिज किया है, जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी बिना किसी आधार के समर्थन दिया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों की अनदेखी करते हुये नियमो से परे अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे।

5— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि विवादित आराजी का बंटवारा नहीं हुआ है तथा ग्राम जुन्हेदी की आराजी हमारे नाना से जरिये वसीयत प्राप्त हुई है। ग्राम अमरा की आराजी हमारे पिता की है उससे हमें वंचित नहीं किया जा सकता। बंटवारें के सबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। पिता की संपत्ति में प्रत्यर्थी का 1/2 हिस्सा बनाता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णय में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

6— विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ संलग्न रिकोर्ड आदि का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7— दोनों अधीनस्थ न्यायालयो ने प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर यह माना है कि ग्राम जुन्हेदी तहसील मथुरा की आराजी प्रत्यर्थी को जीतो से जरिये वसीयत प्राप्त हुई है। ग्राम अमरा तहसील डीग की आराजी पेत्रिक है जिसमें अपीलांट और प्रत्यर्थी का हिस्सा दर्ज किया हुआ है। प्रत्यर्थी के तर्क अनुसार जुन्हेदी की भूमि वसियत से प्राप्त होकर इसके रिकोर्डेड खातेदार है जबकि अपीलार्थी जुन्हेदी की आराजी पर कब्जा काश्त बताकर बंटवारें में आना बताते है किंतु बंटवारे बाबत् ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि ग्राम जुन्हेदी की जमीन रेस्पोडेंट के हक में व अमरा की जमीन अपीलांट के हिस्से में आई हो। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि ग्रात अमरा तहसील डीग की आराजी में अपीलांट और रेस्पोडेंट का

संयुक्त खाता है और अलग अलग खेतों के अलग अलग हिस्से दर्ज है तथा उनके द्वारा बंटवारों का कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। इसके अलावा खसरा नंबर 1097 और 1109/37 है. 1/5 हिस्सा पर सतना बेवा श्यामसिंह खातेदार है जिसे वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। रेस्पोडेंट प्रत्यर्थी ने नामांताकरण एवं वसीयतनामा से यह साबित किया है कि ग्राम जुन्हेंदी तहसील मथुरा की आराजी उन्हें अपने नाना से जिरये वसीयत प्रापत हुई है तथा ग्राम अमरा तहसील डीग की जमीन पैत्रक होने से अपीलांट और रेस्पोडेंट के हिस्से जमाबंदी में अकित है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि ग्राम जुन्हेंदी की भूमि बंटवारें में रेस्पोडेंट के पक्ष में तथा ग्राम अमरा की भूमि अपीलार्थी के पक्ष में आई है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वाद पत्र के आधार पर कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी न होना मानते हुये अपीलार्थी का वाद खारिज किया है। वादी अपीलार्थी द्वारा अपना वाद साक्ष्य, दस्तावेजात के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल होने की स्थिति में ही खारिज किया गया है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी परीक्षण न्यायालय के निष्कर्ष को पुष्ट किया गया है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के समान निष्कर्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार है, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि परीलक्षित नहीं है।

8 उपरोक्त विवेचना के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में ऐसी कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

9— परिणामतः हस्तगत अपील सारहीन होने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य